POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! मुझे प्रसन्नता है कि इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजस्थान के दो अन्नदाताओं यानी किसानों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। गौरवपूर्ण यह सम्मान प्राप्त करने वाले अजीतगढ़, सीकर के जगदीश पारीक और मानपुरा, झालावाड़ के हुकुमचंद पाटीदार को मेरी ओर से एवं ग्राम गदर के सभी पाठकों की ओर से हार्दिक बधाई!

आजादी के सत्तर साल के बाद धरतीपुत्रों को पहली बार मिला यह सम्मान प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह किसानों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही किसान केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलख जगा रहे हैं। इनका कहना है कि आज खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से धरती की उर्वराशक्ति कम होती जा रही है। अगर किसान अब भी जैविक खेती को नहीं अपनाएंगे तो जमीन बंजर हो जाएगी।

किसानों को वह खेत में गोबर, वानस्पतिक और वर्मी कम्पोस्ट खाद का उपयोग करने एवं जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण व सलाह भी दे रहे हैं। दोनों ही किसान 'कट्स' द्वारा संचालित जैविक खेती से संबंधित परियोजना से भी जुड़े हुए हैं और किसानों को अपने अनुभवों से अवगत कराते हैं।

गौरतलब है कि जगदीश पारीक अपने खेत में जैविक विधि से 25 किलो की गोभी उगा चुके हैं और विश्व रिकार्ड बनाने के प्रयासों में जुटे हैं, वहीं हुकुमचंद के जैविक उत्पाद दुनिया के कई देशों तक में अपनी साख बना चुके हैं।

मिलावटखोरों की खैर नहीं, लाएंगे नया कानून, तत्काल भेजेंगे जेल

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलावट रोकने के प्रावधान है। लेकिन मिलावट के मामले लगातार मिलने के बावजूद अब तक किसी को सजा नहीं हुई। सख्त कार्रवाई और सजा नहीं होने से अपराधियों में कोई भय दिखाई नहीं देता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्य सरकार को यह छूट है कि वह ऐसे मामलों के संबंध में कुछ प्रावधान जोड़ सकती है, परन्तु एक्ट के मूल स्वरूप में पूरी तरह बदलाव नहीं कर सकती। अभी कानून में सबसे बड़ी कमी मामलों के न्यायालय में जाने के बाद किसी भी मामले में सख्त सजा नहीं होना है।

हाल ही प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया है कि राज्य सरकार मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों पर जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके इसके लिए प्रदेश में फास्ट ट्रेक अदालतों की स्थापना कर ऐसे मामलों के निस्तारण की अवधि तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सजा के प्रावधानों को और अधिक सख्त और मजबूत बनाया जाएगा। अनसेफ यानी जानलेवा श्रेणी के मामलों में चालान पेश होने के बाद तत्काल जमानत नहीं हो और दोषी को तत्काल जेल भेजा जाए जैसे प्रावधान किए जाएंगे। जल्द ही यह कानून राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।

ऑपरेशन में लापरवाही, अस्पताल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना

अलवर निवासी पूजा ने उपभोक्ता मंच में अलवर स्थित साहिल अस्पताल और डॉ. गीता मलिक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में कहा गया कि वह 10 दिसंबर 2010 को अस्पताल में भर्ती हुई, जहां ऑपरेशन के जरिए उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ऑपरेशन के पहले सावधानी नहीं बरतने और चिकित्सक के अयोग्य होने से उसके पुत्र की हालत खराब हो गई। बाद में शिशु को जयपुर स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जहां 13 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। मंच में अस्पताल की ओर से कहा गया कि बच्चे की मौत परिवादिनी के रिश्तेदारों की गलती से हुई है।

उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद खारिज करने पर मामला राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया गया। आयोग ने साहिल अस्पताल और डॉ. गीता मलिक को सिजेरियन ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का दोषी माना और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि 27 जनवरी 2011 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित राज्य उपभोक्ता आयोग कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश है। साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को सात लाख रुपए व ओरिएंटल इंश्योरेंस को एक लाख तीस हजार रुपए 27 जनवरी 2011 से अदायगी तक प्रार्थिया पूजा को 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया है।

आचार संहिता में फंसा गरीब का गेहूं

भाजपा व कांग्रेस सरकार की आपस की राजनीति में पूरे प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों को एक रुपए किलो में मिलने वाला गेहूं और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज अटक गया है। ऐसा भामाशाह कार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो छपा होने के वजह से हुआ है।

प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कार्डों को डिब्बे में बंद कर पटक दिया गया है। यह भी सामने आ रहा है कि अब यह कार्ड नहीं बांटे जाएंगे। क्योंकि अब सरकार बदल गई है। बुजुर्ग, विकलांग व विधवा पेंशन आदि के लिए भी भामाशाह कार्ड जरूरी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अब ई-मित्र के जरिए भामाशाह कार्ड फोटो रहित बनाए जाएंगे। इससे गरीब सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं।

'स्मार्ट विलेज' योजना की सुस्त चाल

गांवों में भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से शुरू की गई स्मार्ट विलेज योजना सिर्फ घोषणा ही बन कर रह गई है। यह योजना करीब छह विभागों के सहयोग से पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में संचालित की जानी थी। पिछली सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी।

इस योजना के तहत ऐसे गांवों में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट लगाने, ई-पुस्तकालय व नॉलेज सेंटर बनाने, कचरा प्रबंधन, वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने, गार्डन, खेल एवं चारागाहों का विकास जैसे कई कार्य कराए जाने थे। ग्रामीणों को आशा है कि अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ग्रामीण विकास की इस योजना को गति देगी।

मनरेगा योजना के कार्यों को बढ़ावा

मनरेगा योजना के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी नौ हजार 894 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम एक कार्य प्रति पंचायत मंजूरी देनी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने इस बारे में जिला परिषदों को निर्देश जारी किए हैं। जहां संभावना हो वहां एक से अधिक कार्यों की भी स्वीकृति दी जा सकेगी।

मनरेगा योजना के कार्यों को तय लक्ष्यों में पूरा नहीं कर पाने के कारण यह कार्य व्यवस्था तय की गई है। प्राथमिकता के बावजूद अब तक मनरेगा में 21 लाख में से महज सात लाख काम पूरे हो पाए हैं। कार्यों की जिओ टेगिंग के भी जिला परिषदों को निर्देश जारी किए गए हैं।

शो-पीस बनी ई-मित्र प्लस मशीनें

प्रदेश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए खर्च कर लगाई गई ई-मित्र प्लस मशीनें विभाग की मॉनिटरिंग की कमी के चलते शो-पीस बनकर रह गई हैं। ग्रामीण इलाकों के अटल सेवा केंद्रों में लगी करीब 10 हजार मशीनों में से ज्यादातर बंद पड़ी है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का दावा था कि ग्रामीणों को इस मशीन से 24 घंटे 270 से भी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। लेकिन इन मशीनों के चालू नहीं होने से जमाबंदी निकलवाना, विवाह, मूल निवास, जाति और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, राशन कार्ड व आधार कार्ड बनवाना, ऑनलाइन शिकायत करना जैसी अनेक सुविधाओं और सेवाओं से ग्रामीण वंचित हैं।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

इस साल 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2018 के लिए 'किसानों की स्थिति' विषय पर प्रविष्ठियाँ आमन्त्रित की गई थी। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से जोधपुर जिले के पत्रकार चेतन कुमार मालवीय को वर्ष 2018 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

चेतन कुमार मालवीय जोधपुर जिले के बिलाड़ा गांव के निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के ग्रामीण संवाददाता हैं। वर्ष 2018 में उनकी 'किसानों की स्थिति' पर बहुत सी खबरें एवं लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्हें दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

फाइलों में अटका ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में राजस्थान ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी। कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बन गई। इसके बाद भाजपा सरकार ने इसको बदल कर जैविक खेती निदेशालय बनाने की तैयारी की। लेकिन यह निदेशालय भी नहीं बन पाया।

अब फिर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आते ही कृषि विशेषज्ञों को उम्मीद बंधी है कि अटकी पड़ी इस घोषणा को अब पूरा किया जाएगा। इससे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों और प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

ग्राम पंचायत में लगाएं सौ-सौ पौधे

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत व गांवों में कम से कम 100 पौधे लगाए जाएं। जयपुर के रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के जल बहाव क्षेत्रों में अतिक्रमण मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में पानी की कमी व बरसात की कमी के मुद्दे को हरियाली और पौधरोपण से जोड़ते हुए कहा है कि जहां हरियाली ज्यादा होती है वहीं पानी होता है। ऐसे में सरकार प्रदेश की नौ हजार से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में वृक्ष मित्रों की मदद से सौ-सौ पौधे लगाए और पटवारी व ग्राम सचिव पौधों की मॉनीटरिंग करें।

जल संकट, हालात हुए विकट

भारत जल संकट से जूझ रहा है, जमीन में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लोगों के लिए पेयजल बेहद चिंताजनक मुद्दा बन गया है। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दो लाख भारतीयों को पानी की अनुचित आपूर्ति व संदूषित पेयजल के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है।

राजस्थान के हालात तो और भी विकट है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पेयजल और पानी की अनुपलब्धता के चलते स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं बढ़ी हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक अच्छी योजना है। इस अभियान को सभी स्तरों पर एक साथ चलाना होगा।

महिलाएं हैं खून की कमी की शिकार

भारत में महिलाओं की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खून की कमी (एनीमिया) से जूझ रही है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के शोध के अनुसार सही पोषण और स्वास्थ्य उपायों के अलावा महिलाओं में शिक्षा की कमी इसकी मुख्य वजह है। शोधकर्ता भारत के नेशनल फैमेली हेल्थ सर्वे 2005-06 और 2015-16 के आंकड़ों का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

सर्वे के अनुसार भारत में मां बनने योग्य आयु वर्ग की 53 फीसदी महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया की शिकार हैं। शरीर में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, जिससे खून में इसकी कमी हो जाती है। इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती।

ड्रिप सिंचाई योजना से बन रहे लखपति

ओड़िशा के तांगिरिअपल के आदिवासी गांवों में भले ही पक्की सड़क नहीं हो, लेकिन वहां पर भी किसान ड्रिप सिंचाई करके लखपति बन रहे हैं। मानसून पर निर्भर रहने वाले किसान जो साल में एक फसल उगा पाते थे, आज ड्रिप सिंचाई करके पूरे सालभर व्यापारिक खेती कर लेते हैं।

यह बदलाव मूलत: सीआईएनआई नामक संस्था के द्वारा आदिवासियों को उचित ट्रेनिंग दिए जाने के वजह से संभव हुआ है। जहां पहले इन किसानों की वार्षिक औसत आय 35 से 40 हजार रुपए हुआ करती थी आज वो बढ़कर एक लाख रुपए तक हो गई है।

राष्ट्रपति ने झुककर लिया आशीर्वाद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब कर्नाटक की पर्यावरणविद् सालुमारदा थिमाक्का को पद्मश्री पुरस्कार दे रहे थें, तो बरबस ही सबकी आंखे उस पल पर जाकर टिक गई, जब 107 वर्षीय थिमाक्का दादी के हाथ राष्ट्रपति के सिर पर आशीर्वाद के लिए उठ गए। उन्होंने समारोह में राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।

पेड़ों की मां के नाम से चर्चित थिमाक्का दादी ने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों को पालने-पोसने में ही खपा दी। उनके बच्चे नहीं हुए तो वह पेड़ों को अपना बेटा मानने लगी।

उन्होंने करीब 8000 पेड़ लगाए और उन्हें बच्चों की तरह पाल-पोषकर बड़ा भी किया। उनका सबसे उल्लेखनीय काम करीब 400 बरगद के पेड़ लगाना रहा। ये पेड़ हुल्लूर और कुदूर के बीच हाइवे पर करीब चार किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। धरती की हरियाली बढ़ाने वाली इस दादी का हर शख्स शुक्रगुजार है।

जन प्रतिनिधियों का दायित्व

हमारी सरकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ग्रामीण विकास, जल स्वावलंबन जैसे कई कार्यों में अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन क्या किसी नेता या मंत्री ने योजनाओं को सही रूप में समय पर क्रियान्वित होते देखा है?

सरकारी घोषणाओं और योजनाओं की ओर तब ही ध्यान दिया जाता है जब सरकार का कार्यकाल आधे से ज्यादा बीत चुका होता है या समस्या काबू से बाहर हो जाती है। क्या जन प्रतिनिधियों का यह दायित्व नहीं बनता है कि वे समय रहते योजनाओं की मॉनिटरिंग करें?

- हरिशंकर ब्यास, जोधपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर